(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप लघु तथा कुटीर उद्योगों को नुकसान नहीं होगा; और

(घ) क्या सरकार लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित उद्योगों में से बड़े उद्योगपतियों तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को निकालने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 836 मदें आरक्षित हैं । इन मदों के नाम दिनांक 25-7-1991 की गजट अधिसूचना सं० एस० ओ० 477(ई) की अनुसूची-3 में दिये गए हैं। केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की कोई अलग सूची नहीं है । किन्तु इस क्षेत्र के 96 उद्योग हैं जो कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं ।

(ख) से (घ) एक बार जब कोई मद केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हो जाती है तो किसी मझौले/बड़े उपक्रम को उसका उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी जाती है । किन्तु 75 प्रतिशत निर्यात वचनबद्धता के साथ आरक्षित मद का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कम्पनी सहित मध्यम/बड़े उपक्रम भी कर सकते हैं (तैयार वस्त्रों के निर्यातोन्मुख एककों के मामले में यह 50 प्रतिशत है जिसमें निवेश की सीमा 3 करोड़ रूपये है) । लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न कोई एकक यदि लघु उद्योग एककों के लिए आरक्षित किसी मद का उत्पादन उस मद के आरक्षण की तारीख से पहले से कर रहा है तो वह सी० ओ० बी० (कार्य जारी रखने) का लाइसेंस लेकर उसका उत्पादन जारी रख सकता है । इसी प्रकार, जो लघु उद्योग एकक उन्नति करके मध्यम/बड़े उपक्रम बन जाते हैं वे भी सी० ओ० बी० लाइसेंस लेकर ऐसी मदों का उत्पादन जारी रख सकते हैं ।

75 प्रतिशत की निर्यात वचनबद्धता का प्रावधान तथा लघु उद्योगों में स्वदेशी और विदेशी अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागीदारी की अनुमति न देने का प्रावधान लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करने हेतु किया है ।

गुजरात में भारी उद्योग स्थापित किया जाना

1390. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में बड़े/भारी उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 1993 के दौरान कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की है, और

(घ) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे और उन पर कितनी-कितनी लागत आएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1993 के दौरान गुजरात राज्य में औद्योगिक लाइसेंस के लिए कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए थे । 1-2-94 तक इन आवेदनों के बदले 62 आशय पत्र मंजूर किये गए थे, 12 आवेदन नामंजूर किए गए थे और 3 आवेदनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वापिस ले लिया गया था।

(घ) उपर्युक्त आवेदनों में प्रस्तावित स्थापना-स्थल बड़ौदा, भड़ौच, अहमदाबाद, वलसाड़, बुलसार, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट आदि जिलों से संबंधित हैं। उपर्युक्त आवेदनों के संबंध में अचल परिसम्पत्तियों में प्रस्तावित पूंजी निवेश 1,239 करोड़ रू० है।

Vacant posts of CMDs in PSUs

1391. **SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the names of the public sector undertakings where the posts of Chairman/Managing Director are vacant